Volume - 4 (2023)
Special Issue - 2 (April)
RESEARCH HUB
International Peer-Reviewed Multidisciplinary E-Journal
ISSN 2582-9173
Website : www.researchhub.org.in/research-hub !! Email : researchhubjournal@gmail.com

लिंग समानता : मानवधिकार की नयी संकल्पना!

Dr. Madhavi Moharil **Dr. Rajni Harode**

समाज में रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति की सोच, उसकी अपनी स्थिती एवम् उसकें आसपास की परिस्थितीयों पर आधारीत होती है। अधिकारों के साथ कर्तव्योंका ज्ञान तथा अहसास यही सुशिक्षित व्यक्ति की पहचान है। लेकिन समाज में अधिकार सपन्न व्यक्तिओं का अपने कर्तव्यों के प्रति न हो तो देश को अध:पतन की ओर ले जाने वाला समाज साबित होता है। अपने कर्तव्यों के प्रति कडी कर्तव्य निष्ठता तथा अधिकारों के प्रति सजगता रखने वाला समाज राष्ट्रनिर्माण में योगदान देता है। कर्तव्यों —अधिकारों के इस संदर्भ में भारतवर्ष ने ऐसा दौर देखा है की जहा कतव्यों तथा अधिकारों की निर्भरता व्यक्ति के लिंग पर होती। पुरूषों के कर्तव्य — अधिकारों का दायरा तथा स्त्रीयोंके कर्तव्य अधिकारों का दारया मापने का मानदंड अलग—अलग था। अनेक वर्षो से यह लिंग असमानता मानवता पर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करती आ रही है। लिंग असमानता से लिंग समानता तक का सफर भले ही भारत तय करने की कोशिश कर रहा है लेकिन चुनौतिया बहुत है उन्हें पार करना होगा।

मनुष्य यह एक बुध्दीमान तथा विचारी प्राणी है,अपना स्वातंत्रता तथा प्रतिष्ठा संभालने का अधिकार मनुष्य को जन्मत: प्राप्त हुई है। इंन्सान का जीवन सुगम होने हेतू तथा अपना व्यक्तित्व निर्माण हेतू सभी अधिकारोंका निर्माण करना। इसी को मानवधिकार कहा गया है। इसका उल्लंघन माना गया है। भारत में मानवधिकार के संदर्भ में स्त्रीयों के अधिकार में जिस तरह बदलाव आता रहा, उस, तरह स्त्रीयों के अधिकारों मे भी परिवर्तन आते गये। अनेक बार मानवधिकार के परिपक्ष्य में स्त्रीयों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रख गया इसी कारण से लिंग असमानता, लिंग भेद की समस्या भारत में पनपने लगी। लिंग भेद के नकारात्मक परिणाम अनेक पिढीयो ने सहे। शिक्षा के व्दार खुलते ही विचारों की अभिव्यक्तियो ने लिंग भेद के प्रभावों को साहित्य व्दारा उजागर किया। मानवधिकर के संदर्भ में महीलाओं के अधिकारों का रक्षण करनेवाले कुछ मुख्य कानुन भारत सरकार व्दारा लागू किये गये। जिसके कारण महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में आने के व्दार खुल गये। लिंग समानता के युग की शुरआत करनेवाले कुछ मुख्य कानूनी अधिकार भारत मे दिये गये उनकी जानकारी महिलाओं को नही थी।

भारतीय कानून व्यवस्था में धारा ४९८—ए दहेज प्रतिबंध अधिनियम है जो किसी महिला को ससुराल में दहेज के कारण से प्रताडीत करने से रोकता है। पराऐ घर में स्वाभिमान से रहने की व्यवस्था घरेलू हिंसा अधिनियम करता है। यह कानून महिला का विवाह के बाद शारिरीक तथा मानसिक शोषण पर रोक लगाता है तलाकषुदा महीला के बच्चे के साथ भरण पोषण के संरक्षण तथा प्रतिव्दार आर्थिक सहायता की व्यवस्था भारतीय कानून करता है। मायके की संपत्ती का अधिकार महिला को बराबरी से भारतीय न्याय व्यवस्था प्रदान करता है। विधवा विवाह की कानून १८५६ में ही बन गया था लेकीन आज भी स्त्री तथा इस समाज दिशा में सक्रिय नही हो पा रहा है। आज भी स्त्री के सारे संबोधन पुरूष के साथ उसके रिश्ते से ही परिभाषित होते है। उसके न होने से थोपा हुआ वैराग्य/अनास्था आज भी समाज जी व्यथा है।

लिंग समानता की ओर उठाया संवैधानिक कदम, संविधान के अनुच्छेद १४ और १५ के अनुसार लिंग आधारित भेदभाव वर्जित है लेकिन भारतीय समाज व्यवस्था इस संविधान के स्वीकार से बहुत दूर है पुरूष तथा स्त्री के बीच की समानता का प्रश्न गहुत गंभीर तथा त्रासद है। सामाजिक तथा राष्ट्र सुधार तथा निर्माण मे यह बड़ा निरोध है।

लिंगभेद रहित समाज निर्माण के लिये सरकार व्दारा की गई पहल में महिलाओं से पुछताछ से संबोधीत नियम बनाऐ गऐ है जैसे सुरज ढलने के बाद महिलाकों गिरफ्तार नही किया जा सकता। महिला के जुर्म के अनुसार धारा लगाकर कार्यवाही की जाती है। गर्भवती महीलाओं को कार्य स्थल पर छह हफ्ते की विशेष छुट्टी का प्रावधान है। बेवजह चरित्र पर दोषारोपण देने पर दोषारोपण करनेवाली व्यक्ति पर केस करने का अधिकार बदल परिवेश न्याय व्यवस्था महिलाओं को प्रदान करती है।

संविधान में महिलाओं को कई अधिकार दिये गये है। लेकिन जानकारी के अभाव में वे इनका समुचित उपयोग नही कर पाती है और शोषण का शिकार हो जाती है। नौकरी या उसके अवसरों के लिये समानता का अधिकार (१६) महिला पुरूष को समान जीवन जीने का अधिकार ३९(ए) महिलाओंके समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार ३९ (डी) इत्यादी अधिकार स्त्री–पुरूष समान समाज व्यवस्था की और उठाऐ गये सरकार व्दारा उठाऐ गये सराहनीय कदम है। लेकीन इन सभी संवैधानिक, न्यायिक व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम तभी संभव होगा जब सामाजिक स्तर पर इन सभी प्रावधानों की जानकारी तथा आचरण कौटुंबिक, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत स्तर पर लिंग भेद रहीत समाज मानवधिकार की नयी संकल्पना संतुलीत तथा विकसित होने देर न लगेगी।

भारत के स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम बडे उत्साह से अखंड भारत में मना रहे है। भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहा भयमुक्त वातावरण में महिलाओं को सुस्त की संपूर्ण समाज अपनी समझे और अपने बहु–बेटीओं के लिए निर्भय वातावरण निर्माण कर आश्वस्त करे। अनुच्छेद १९ में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। वह स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमान, निवास, व्यवसाय कर सकती है। लेकिन क्या यह अनुच्छेद हम वास्तविकता में ला पाते है? आज कितनी महिलाऐं रात्री के समय निर्भयता से प्रवास कर पाऐगी? स्वतंत्रता से, भयमुक्त होकर व्यवसाय या नौकरी के संदर्भ में अकेली रह पाऐगी? महानगरों में महिलाऐं अकेले रहने की हिम्मत करने के अनेक उदाहरण है लेकीन वह सुरक्षित तथा निर्भिक रूप से जीवन व्यतीत कर रही है क्या यह प्रश्नचिन्ह कायम है।

भारत में लिंग समानता की पहल करने के उद्देश्य से भारत सरकारने महिला आरक्षण विधेयक पारित कीया। 33% भाग महीलाओंके लिये आरक्षित रखा गया। लेकिन क्या इस पहल से लिंग समानता हम समाज में ला पाए? आज भी अमंगहित क्षेत्र में महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन नाकारा जाता है। अनुच्छेद ३१ (द) में क्षेत्र मे समान कार्य, समान वेतन को प्रावधान होने के बावजुद यह असमानता दिखाई देती है। संविधान पंचायत या नगर पालिकाओं मे चुनाव लडने के लिये महिलाओं को अधिकार देता है लेकिन ऐसे अनेको उदाहरण हैं की उमीदवार महीलाओ के नाम की आड में उनके पिता या पती पद से संबधित निर्णय लेने का कार्य करते है। महीलाओं का नाम नाममात्र रह जाता है। निर्णय क्षमता, समाज मे प्रत्यक्ष कार्य वास्तविक प्रश्नों की समझ आदी महत्वपूर्ण बातों से चुनी हुई महिला उमेदवार कोसो दूर रहकर घर गृहस्थी संभालती है। राजकीय क्षेत्र के ऐसे उदाहरण भारत में समानता की वास्तविक स्थिती दर्शाता है।

शिक्षण गृहण करता समाज व्यक्तिवाद की संकलपनाओं का महत्व समझता है। लिंग समानता की राह चलते पुरूष महिला में लिंग असमानता का अंतर कम करते यह भी ध्यान रखना जरूरी है की यह कोई पुरूष प्रधान संस्कृती को परास्त कर स्त्री प्रधान संस्कृती की नीव समाज में रखनी ऐसां नही है। नाही कोई होड है जिसमें जीत हासील करनी है। लिंग समानता यह एक समाज की सुखी – शांत तथा स्वस्थ व्यवस्था की पहचान है जिसमें प्राकृतिक रूप मे स्त्री पुरूष दोनो सुंदर तथा जिम्मेदार ईकाईयो को साथ में विकसीत होने का अधिकार है। व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र तथा विश्व के विकास यात्रा में सभी का योगदान अपनी क्षमताओं से विद्वत्ता से कौशल्य

से, श्रध्दा से, विश्वनिर्माण में समर्पित हो, इस उद्देष्य से लिंग समानता यह हर समाज जी जरूरत है यही मानवधिकार की नयी संकल्पना है।

संदर्भ :

- मेहेते स्मीता, (२०११) भारतीय स्त्री आणि मानवधिकार श्री. साईनाथ प्रकाशन, नागपुर
- सिंह धमेंन्द्र (२०१२) भारत में मानवधिकार , रावत पब्लिकेशन , जयपुर
- शर्मारमा मिश्रा एम के (२०१०) , महिला और मानव अधिकार, अर्जुन पब्लिकेषन हाउस, नई दिल्ली
- महिला अधिकार, https://him.wikipedia.ng.wiki
- महिला के संवैधानिक अधिकार , https://kanoonmitra.com
- भारत में महिलाओ के उत्थान और विकास से संबधित कानूनों को विश्लेशण, taxguni.in
- लैगिक असमानता : कारण और समाधान https://www.drishtias.com